संख्या-942/2025/2990/41-1-2025-सी0एन0-1748631/25

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 05 दिसम्बर, 2025

विषय:- जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-243300/8-16(पी0पी0पी0)/टेम्पल म्यूजियम-2023-24 , दिनांक 20 अगस्त, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित ग्राम मांझा जमथरा परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या की भूमि गाटा संख्या-57 मि0 जुमला में टाटा ग्रुप के सहयोग (सी0एस0आर0 फण्ड) द्वारा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु राजकीय नजूल भूमि गाटा संख्या-57 मि0 व 1 मि0 क्षेत्रफल 25.00 एकड़ के अतिरिक्त 27.102 एकड़ कुल 52.102 एकड़ भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 से पर्यटन विभाग को किये जाने एवं कुल 52.102 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना हेतु रू0 1/- वार्षिक धनराशि की दर पर मेसर्स तलाकृत फाउण्डेशन एवं पर्यटन विभाग के मध्य हस्ताक्षरित किये जाने वाले अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) के आलेख एवं अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही का अनुरोध किया गया है ।

2- विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वन सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या एक विश्वस्तरीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित हो रहा है। अयोध्या में वर्ष 2021 में लगभग 1.58 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 2.40 करोड़ तथा वर्ष 2023 में लगभग 5.75 करोड़ हो चुकी है। दिनांक 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्म भूमि प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरान्त अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व गुणात्मक वृद्धि हुई है। दिनांक 22 जनवरी 2024 से प्रतिदिन लगभग 2 से 4 लाख पर्यटक अयोध्या धाम आ रहे हैं। वर्तमान में अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र-'श्रीराम जन्मभूमि परिसर' एवं समीपवर्ती 'कनक भवन', हनुमान गढ़ी एवं अन्य धार्मिक स्थल हैं। अयोध्या में पर्यटक प्रायः धार्मिक पूजा अर्चना एवं श्रद्धाभाव से आते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं, विदेशी पर्यटकों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रूचि रखने वाले पर्यटकों को अयोध्या के प्रति आकर्षित करने हेतु आवश्यक पर्यटक उपादानों का अभी अभाव है।

मंदिर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्राचीन काल से ही एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग रहे हैं । आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक केन्द्र के अतिरिक्त भारतीय मंदिर, निष्पादन कलाओं (परफार्मिंग आर्ट), दृष्य कलाओं(विजुअल आर्ट), ललित कलाओं तथा नृत्य रूपों के संरक्षण एवं उन्नयन केन्द्र के रूप में सनातन काल से विद्यमान है । मंदिरों के रूप में जीवित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा तत्संबंधी स्थापत्य, मूर्ति कला, अन्य कलाओं को समेकित रूप से प्रदर्शित करता हुआ संग्रहालय भारत में ऐसा पहला संग्रहालय होगा, जो कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में अत्यन्त लाभप्रद होगा । विश्व स्तरीय पर्यटक गंतव्यों में संग्रहालय प्राय: एक प्रमुख आकर्षण केन्द्र होते हैं उदाहरणत: वैटिकन सिटी में निर्मित वैटिकन म्यूजियम,पेरिस में स्थित लूर म्यूजियम, न्यूयार्क स्थित मैट्रोपोलियन म्यूजियम, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम इत्यादि । इस क्रम में जनपद अयोध्या में विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराया जाना प्रस्तावित है ।

3- जनपद अयोध्या का विश्व स्तरीय धार्मिक एवं अध्यात्मिक पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकास हो रहा है । वर्तमान में नई पीढ़ी के युवाओं एवं देशी-विदेशी पर्यटकों को भारत की पौराणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत से अवगत कराने हेतु आवश्यक उपादानों का अभाव है । संग्रहालय का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन भारतीय मन्दिर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

वास्तुकला शैलियों के विकास, इसके सिद्धांतो, इसके संरचनात्मक घटकों,क्षेत्रीय शैलियों और साहित्य, कलात्मक या ऐतिहासिक रूचि की वस्तुओं के संरक्षण का एक व्यापक प्रदर्शन प्रदान करना है, जिससे सार्वजनिक ज्ञान, जागरूकता बढ़ाने, कला और सांस्कृतिक विरासत के सरंक्षण एवं संवर्धन के साथ अनुसंधान और शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी ।

इस क्रम में टाटा सन्स प्रा0लि0 द्वारा अपने पत्र संख्या-15 मार्च, 2024 के माध्यम से भारतीय मंदिर स्थापत्य कला तथा भारतीय मंदिरों से सम्बन्धित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से लोगों को परिचित कराने एवं प्राचीन काल से चली आ रही मंदिरों की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा व दर्शन के संरक्षण हेतु अपने सी0एस0आर0 फण्ड से एक विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं इसका सुचारू रूप से प्रबन्धन/संचालन करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की गयी थी, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि उक्त कार्य हेतु एक गैर लाभकारी एस0पी0वी0 का गठन कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 08 के अधीन किया जायेगा। उक्त संस्था में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। प्रस्तुत प्रस्ताव में उक्त एस0पी0वी0 को मंदिर संग्रहालय निर्माण, प्रबन्धन तथा संचालन के लिये अयोध्या विकास क्षेत्र में उपयुक्त भूमि के उपयोग के लिए 90 वर्ष का लाइसेंस रू0 1/- प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त भूमि पर टाटासंस द्वारा एस0पी0वी0 के माध्यम से भारतीय मंदिर संग्रहालय (Indian Temple Museum) का निर्माण कराया जायेगा एवं बिना किसी वित्तीय उपाशय/लाभार्जन के उक्त मंदिर संग्रहालय का विकास, प्रबन्धन एवं संचालन किया जायेगा।

जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के निम्न परिणाम होंगे :-

- प्रदेश में भ्रमण हेतु आने वाले देशी-विदेशी आगन्तुकों को भारत के ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत से अवगत कराया जा सकेगा ।
- देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े रोजगार के अवसर का सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी ।
- प्रस्तावित टेम्पल म्यूजियम के निर्माण से नई पीढ़ी के युवाओं, विद्यार्थियों तथा शोध छात्रों को भारत के सांस्कृतिक एवं पौराणिक विरासत को जानने/शोध करने का अवसर प्राप्त होगा।
- प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के फलस्वरूप वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य के प्राप्ति में सहायक होगा ।
- यह प्रदेश की 'आध्यात्मिक शक्ति' को 'आर्थिक समृद्धि' में रूपान्तरित करने में सहायक होगी ।

4- पर्यटन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-646/2024/1655/41-1-2024-सी0एन0-1769046-202 दिनांक 27 जून, 2024 के माध्यम से जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि0 क्षेत्रफल 25.00 एकड़ में टाटा ग्रुप के सहयोग (सी0एस0आर0 फण्ड) द्वारा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु 90 वर्ष का लाइसेंस रू0 1/- प्रतिवर्ष की दर पर दिये जाने, विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं टाटा संस प्रा.लि. के मध्य त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 को हस्ताक्षरित किये जाने पर माननीय मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

5- उपरोक्तानुसार माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि0 जुमला में टाटा ग्रुप के सहयोग से सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम से विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु रू0 1/- वार्षिक धनराशि की दर पर भूमि 90 वर्ष के लिये दिये जाने हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं टाटा संस प्रा.लि. के मध्य त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को हस्ताक्षरित किया गया है।

6- इसी क्रम में निष्पादित एम0ओ0यू0 के नियम एवं शर्तों के अनुसार टाटा सन्स प्रा0लि0 द्वारा फर्म मेसर्स तलाकृत फाउण्डेशन, रजिस्टर्ड पता-आर्मी एवं नेवी बिल्डिंग 148, अपोजिट काला घोड़ा फोर्ट, मुम्बई-400001

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(इसके पश्चात फाउण्डेशन नाम से संदर्भित) के नाम से एस0पी0वी0 (Special Purpose Vehicle) का गठन किया गया है।

7- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20-05-2025 को जनपद अयोध्या में टाटा सन्स प्रा.लि. के सहयोग से विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण किये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें धर्मार्थ कार्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधियों, आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या, जिलाधिकारी अयोध्या, निदेशक पर्यटन, नगर आयुक्त अयोध्या, उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, टाटा सन्स प्रा0लि0 के प्रतिनिधियों एवं के0पी0एम0जी0 टीम के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में टाटा सन्स प्रा0लि0 द्वारा उक्त परियोजना हेतु 25.00 एकड़ के स्थान पर लगभग 55.00 एकड़ भूमि विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर में मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या को निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी, अयोध्या एवं उपनिदेशक पर्यटन, अयोध्या द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर भूमि की पैमाईश कराते हुए लगभग 55.00 एकड़ अतिक्रमण मुक्त, विवादरहित एकजाई भूखण्ड चिन्हित कर जी0पी0एस0 कॉरिडिनेट्स सहित उपलब्ध करायें।

8- उपरोक्त संदर्भ में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/नोडल अधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-83/ एन0सी0/पच्चीस-नजूल-2025 दिनांक 09 जुलाई, 2025 के माध्यम से ग्राम मांझा जमथरा परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या की भूमि गाटा संख्या-57 मि0 व 1 मि0 में अतिक्रमण रहित भूमि चिन्हांकित कर विवरण प्रेषित किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जनपद अयोध्या की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 52.102 एकड़ है, जो विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उपयुक्त है। यह नजूल की भूमि है, जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन है।

9- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 20-05-2025 में लिये गये निर्णय के क्रम में ग्राम मांझा जमथरा परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या की भूमि गाटा संख्या-57 मि0 व 1 मि0 में 52.102 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना हेतु रू0 1/- वार्षिक धनराशि की दर पर फाउण्डेशन एवं पर्यटन विभाग के मध्य अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में विभागीय ट्रान्जेक्शन एडवाईजरी फर्म मेसर्स के0पी0एम0जी0 द्वारा अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :-

WHEREAS: -

(A) The Government of India ("**GoI**") and GoUP are desirous of Promoting cultural and educational initiatives by establishing a state-of-the-art museum of Indian temple architecture (the **"Museum"**), on a not-for-profit basis;

(B) The primary objective of the Museum will be to provide a comprehensive showcase of the evolution of ancient Indian temple architecture styles, its principles, its structural components, regional styles, and literature, preservation of objects of artistic or historic interest, including but not limited to restoration, maintenance, documentation, research, and educational outreach programs aimed at increasing public knowledge and awareness and appreciation of art and cultural heritage;

(C) GoI recognizes the importance of the subject matter of Indian temple architecture, preservation of objects of artistic or historic interest and also fostering knowledge, awareness and appreciation for the rich history, the associated art and science, and culture of the country, and acknowledges that the Museum will play a pivotal role in achieving this goal including by way of conducting educational modules on temple

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

architecture and allied subjects in association with different entities such as Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA), an autonomous body of the Ministry of Culture;

(D) The establishment of Museum represents a monumental step towards the educational enrichment of citizens, providing them with a unique opportunity to engage with and appreciate the diverse cultural tapestry embedded in the architectural heritage of Indian temples;

(E) Based on discussions on the concept with GoI and GoUP, Tata Sons Private Limited ("**Tata**"), having long term experience and understanding in extending such facilities in public interest, had submitted a proposal with respect to the proposed Museum and to support and undertake the Project as part of its CSR initiative;

(F) In consideration of Tata's longstanding and established track record, GoI and GoUP had mutually agreed with Tata to undertake the abovementioned objects and also to design, finance, construct, operate, manage and maintain the Museum through a not-for-profit entity (the "**Implementing Entity**" being the "**Licensee**", as defined above) to be set up for the purpose as a special purpose vehicle (SPV) (the "**Project**");

(G) GoI, GoUP and Tata accordingly entered into a Memorandum of Understanding recording their understanding regarding the Implementing Entity and the Project (the "**MoU**");

(H) Tata has since incorporated the Implementing Entity as a not-for-profit SPV under Section 8 of the Companies Act 2013 for entering into this Agreement and also for designing, financing, constructing, owning, operating, managing and maintaining the Museum in accordance with the provisions of the MoU;

(I) GoUP had resolved that land admeasuring about 52.102 Acres being a portion of land out of the total land bearing Gata no. 57 Mi and 01 Mi situated within the limits of Ayodhya, Tehsil Sadar, Gram Manjha Jamthra, belonging to the GoUP shall be allotted to the Licensee for a period of 90 (ninety) years for the purposes of establishing the Museum with a consideration of INR 1 per annum as license fee towards such allotment, as a new, impartible and restricted tenure land;

(J) Accordingly, the Licensor is the absolute owner of and sufficiently entitled to freehold non-agricultural contiguous piece and parcel of the new indivisible and restricted tenure land admeasuring approximately 52.102 Acres (hereinafter referred to as the "**Site**"). The location of the Site (delineated in blue color) along with coordinates have been annexed hereto and marked as in **Annexure A**;

(K) Pursuant to and in accordance with the terms of the MoU, the Parties are now desirous of entering into a leave and license agreement to clearly set out the specific terms and conditions of use of the Site for the purpose of the Project.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS UNDER:

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1. LICENSE AGREEMENT *VIS-À-VIS* MOU AND THE DEFITIONS OF EXPRESSIONS THEREIN

The provisions of the MoU shall apply *mutatis mutandis* to this Agreement. All recitals, capitalized words, phrases, interpretations and all other clauses under this Agreement shall draw their meaning from the MoU as the context may permit, to the extent not governed or provided for under this Agreement.

2. GRANT OF LICENSE

2.1 The Licensor hereby grants to the Licensee the license to use and occupy the Site, and the Licensee hereby acknowledges the grant and accepts the Site, solely on leave and license basis, for its use and occupation for the purposes set out in this Agreement read with the MoU ("**Permitted Use**"). The said license shall always remain subject to the Licensee performing its obligations as set out hereunder and in the MoU.

2.2 The Licensor has simultaneously with the execution of this Agreement handed over to the Licensee, vacant and peaceful possession of the Site. The Licensee has examined the Site and physically inspected the same, and has, pursuant thereto, agreed to take possession of the Site.

3. LICENSE PERIOD

3.1 The license granted hereunder shall be for a period of 90 (ninety) years, commencing from the date of execution of this Agreement ("**License Period**"). The GoUP agrees that upon the expiration of the aforementioned license period of 90 (ninety) years, and upon a written request from the Licensee, the GoUP shall engage in good faith discussions with the Licensee for extension of the license of the Site for subsequent terms of 90 (ninety) years, on such reasonable terms and conditions as may be agreed between GoUP and the Licensee.

4. CONSIDERATION

4.1 In consideration of the grant of the license hereunder, the Licensee agrees to pay to the Licensor license fee of INR 1 (Rupee one only) per annum during the License Period ("**License Fees**") payable simultaneously with the execution of this Agreement and on each anniversary thereafter. Payment of License Fees shall be subject to deduction of tax at source in accordance with Applicable Laws.

4.2 The Licensor shall provide waiver/exemption of any fees/charges, taxes of any kind whatsoever pertaining to the license of the Site or applicable to this Agreement, except for the applicable property tax, sewerage tax and water tax which shall be payable by the Licensee during the validity of this Agreement, and shall submit a copy of the original receipt to the Licensor within 120 days of each such payment.

5. RESTRICTIONS AND PERMISSIONS

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5.1 Simultaneously with the execution of this Agreement, the Licensor has permitted the Licensee to enter upon the Site for the purpose of construction and development of the Site for the purpose of setting up, establishing and operating the Museum as per the terms of the MoU. Any contractors, vendors, labour engaged by the Licensee for the said purpose shall be at the sole cost and responsibility of the Licensee.

5.2 The Site and the Museum constructed thereon may be utilised only for the purposes of fulfilling obligations pursuant to the MoU, and in compliance with the stipulations of this Agreement and Applicable Laws.

5.3 The Licensee shall be responsible for the maintenance of structures situated within the Site in accordance with the MoU.

5.4 The Licensee shall not sub-let, license, transfer, assign, encumber, create any security interest or otherwise part with the possession of the whole or any part of the Site, except that the Licensee may sub-license parts of the Site to third parties for the purpose of providing Ancillary Facilities, subject to the prior written consent of the Licensor, which shall not be unreasonably withheld.

5.5 The Licensor shall procure all necessary approvals as per the terms of the MoU and specified under Schedule II thereof.

5.6 The Licensee shall obtain the Applicable Permits as may be required by Applicable Laws for the purpose of this Agreement and for that purpose, the Licensor agrees to provide a Single Window Clearance as per the MoU. The Licensee is granted the rights to develop, operate, and maintain the Project as outlined in this agreement and the MoU. However, it is understood and agreed that ownership of the Site remains exclusively with the Licensor at all times.

6. ACCESS

6.1 The Licensor shall grant the right of way to the Site for all purposes relating to the Project commencing from the date of this Agreement.

6.2 The Licensee shall have the right to access the Site.

7. ANCILLARY FACILITIES

Subject to and in accordance with the provisions of this Agreement, the MoU and applicable laws, the Licensee shall be entitled to undertake designing, construction, finance, development, operation and maintenance of the following additional facilities ("**Ancillary Facilities**") as part of the Project:

(a) Office building
(b) Ticket sales office;
(c) Cafe;
(d) Memorabilia sales shop;
(e) Recreation center;

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(f) Canteen;

(g) Books store;

(h) Auditorium; and

(i) any other facilities directly related to Ancillary Activities or the operations of the Museum in terms of the MoU.

8. REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND COVENANTS

8.1 Licensee Representations, Warranties and Covenants

The Licensee represents, warrants and covenants that:

(a) The Licensee has obtained all corporate and other approvals necessary to enter into this Agreement, and this Agreement constitutes valid and binding obligations of the Licensee, enforceable against it in accordance with its terms; and

(b) It is duly organised and validly existing under the laws of India, and hereby expressly and irrevocably waives any immunity in any jurisdiction in respect of this Agreement or matters arising thereunder including any obligation, liability or responsibility hereunder, and has full power and authority to perform and execute its obligations under this Agreement.

(c) In case of any litigation or proceeding initiated against the Licensee solely due to the acts of the Licensee post the execution of this Agreement, the Licensee shall defend such litigations and proceedings entirely at its cost and expenses.

8.2 Licensor's Representations, Warranties and Covenants

The Licensor hereby represents, warrants and covenants that:

(a) It has obtained all approvals necessary to authorize it to enter into this Agreement, and this Agreement constitutes valid and binding obligations of the Licensor, enforceable against it in accordance with its terms.

(b) GoUP is the absolute owner of the Site. The Licensor shall be deemed to be in exclusive possession and in full charge and control of the Site at all times and that the Licensor shall as stated above at all times by giving reasonable notice to the Licensee have full, free and unobstructed entry into the Site, and only a mere right of use is given to the Licensee as per the Agreement.

(c) The Site is not subject to any Encumbrances, claim, litigation or proceedings in any court or tribunal and neither is there any *lis pendens* filed against the Site. If any claim is made or litigation is instituted against the Licensor in respect of the Site during the License Period, the Licensor shall inform the Licensee of such claim or litigation within 180 (one hundred eighty) days of receipt of notice of institution of such proceedings and the Licensor shall defend such claim, litigation and / or proceedings entirely at its cost and expense.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(d) The Licensor covenants that the Licensee, upon paying the license fee and performing the covenants herein, shall peacefully and quietly have, hold, and enjoy the Site for the term of this Agreement without any interruption or disturbance from the Licensor or any person claiming through the Licensor.

8.3 Mutual Covenants

The Parties covenant that their representations and warranties under this Agreement shall remain true, valid and continuous during the License Period. Breach of any of the above representations and warranties by any Party shall be a default of such Party as contemplated under the MoU.

9. TERMINATION

9.1 The provisions of this Agreement are always to be read and construed in conjunction with the provisions of the MoU. This Agreement shall remain valid and binding upon the Parties during the period for which this Agreement shall be in force and until the MoU shall expire by efflux of time or is predetermined in the manner provided therein or in case of the Parties deciding not to renew the MoU or the MoU ceases to be valid for any reason whatsoever and thus, this Agreement or any subsequent license agreement for the Site (in terms of the provisions contained in Cl. 3) shall be co-extensive, co-terminus and run concurrently with the MoU.

9.2 Subject, and in addition, to the foregoing, the Licensor shall have the right to terminate this Agreement if there is breach of any covenant by the Licensee herein, which is not remedied within 30 (thirty) days from the date of written notice by the Licensor to the Licensee ("**Remedy Period**"). Upon failure of the Licensee to cure such default within the Remedy Period, the Licensor shall have a right to serve a notice of termination on the Licensee which shall come into effect on the thirtieth day from the date of such notice.

9.3 Upon termination of this Agreement, the Parties shall comply with the provisions of Clause 11.4 of the MoU.

10. INDEMNITY

10.1 The Licensor hereby undertakes to indemnify and shall at all times keep the Licensee and Tata and their assigns fully and effectively indemnified and saved harmless against any and all actions, suits, proceedings, losses, expenses (including reasonable attorney fees), damage, demands, claims, etc, if the Licensee is prevented from peacefully accessing, occupying or using the Site for the Project.

10.2 The Licensee hereby undertakes to indemnify and shall at all times keep the Licensor and its assigns indemnified against any and all actions, suits, proceedings, losses, expenses (including reasonable attorney fees), damage, demands, claims on account of non-compliance of or omission to comply with any applicable law by the Licensee which adversely impacts Licensor's rights or title to the Site.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

10.3 The indemnity provided herein shall be in addition to the other rights that a Party may have and / or be entitled to under this Agreement, the MoU, or otherwise under applicable law.

11. NOTICES

Any notice or other communication to be given by any Party to the other Party under or in connection with the matters contemplated by this Agreement shall be in manner prescribed under the MoU.

12. ASSIGNMENT

The Licensee shall not assign, transfer or mortgage any of its rights, interests, benefits and / or obligations under this Agreement either in part or whole, whether directly or indirectly to any third person/party.

13. DISPUTE RESOLUTION

13.1 Any dispute, difference or controversy of whatever nature howsoever arising under or out of or in relation to or in connection with this Agreement (including its interpretation) between the Parties, and so notified in writing by either Party to the other Party (the "**Dispute**") shall, in the first instance, be attempted to be resolved amicably through discussions between authorized representatives of the Parties. The Parties agree to use their best efforts for resolving all Disputes arising under or in respect of this Agreement promptly, equitably and in good faith, and further agree to provide each other with reasonable access during normal business hours to all non-privileged records, information and data pertaining to any Dispute.

13.2 Any Dispute which is not resolved amicably by mutual discussion amongst the Parties within a period of 30 days from the date the Dispute arose, shall be finally decided by reference to arbitration as per the terms of the MoU.

14. GOVERNING LAW

This Agreement shall be governed by the laws of India. The courts at Lucknow, Uttar Pradesh, India shall have exclusive jurisdiction over all matters arising out of or relating to this Agreement.

15. STAMP DUTY AND REGISTRATION

Subject to the terms of the MoU, the Licensor shall provide waiver of Stamp duty and registration charges applicable on this Agreement.

Each Party shall bear its own costs and expenses incurred by it in connection with any discussions, negotiations and investigations undertaken in connection with the transaction contemplated by this Agreement, including without limitation costs and expenses associated with retention of financial, legal, tax and other professional advisers.

16. NO WAIVER; REMEDIES

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

No failure on the part of any party to exercise, and no delay in exercising any right, power or privilege hereunder shall operate as a waiver thereof or a consent thereto; nor shall any single or partial exercise of any such right, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege. The remedies herein provided are cumulative and not exhaustive of any remedies provided by Applicable Laws.

17. AMENDMENTS

No amendment or waiver of any provision of this Agreement, nor consent to any departure by any of the Parties therefrom, shall in any event be effective unless the same shall be in writing and signed by the Parties hereto and then such waiver or consent shall be effective only in the specific instance and for the specified purpose for which given.

18. SUCCESSORS AND ASSIGNS

This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective successors and assigns.

19. COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in 2 (two) counterparts, each of which, when executed and delivered, shall constitute an original of this Agreement.

10- निष्पादित त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के क्लॉज 3.2 (h) के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) से संबंधित स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी, जो कि एम0ओ0यू0 के क्लॉज 3.4.1 (j) की शर्तों के अधीन होगी। उक्त के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (फाउण्डेशन) को छूट प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) पर लागू स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के बराबर राशि की बैंक गारंटी स्टॉम्प विभाग में जमा करनी होगी। जब संग्रहालय का संचालन प्रारंभ हो जाएगा, तब स्टॉम्प विभाग द्वारा बैंक गारंटी कार्यान्वयन एजेंसी (फाउण्डेशन) को वापस कर दी जायेगी।

11- टाटासंस के सहयोग से अयोध्या में मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं टाटासंस प्रा.लि. द्वारा गठित एस0पी0वी0 फर्म के मध्य हस्ताक्षरित होने वाले अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) को विभागीय ट्रान्जेक्शन एडवाईजरी फर्म मेसर्स के0पी0एम0जी द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अन्तिमीकृत किया गया है।

12- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) प्रस्तर-8 के अनुसार राजकीय नजूल भूमि गाटा संख्या गाटा-57 मि0 व 1 मि0 क्षेत्रफल 25.00 एकड़ के अतिरिक्त 27.102 एकड़ कुल 52.102 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 से पर्यटन विभाग के पक्ष में किया जाना।

(ख) ग्राम मांझा जमथरा परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या की भूमि गाटा संख्या-57 मि0 व 1 मि0 में 52.102 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना हेतु रू0 1/- वार्षिक धनराशि की दर पर मेसर्स तलाकृत फाउण्डेशन एवं पर्यटन विभाग के मध्य अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) के आलेख (संलग्न) पर अनुमोदन एवं अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने पर अनुमोदन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से हस्ताक्षरित करने हेतु प्रमुख सचिव पर्यटन, उ0प्र0 शासन को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन।

(घ) प्रस्तर-10 के अनुसार त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के क्लॉज 3.4.1 (j) की शर्तों के अधीन क्लॉज 3.2 (h) के अनुसार, अनुज्ञप्ति अनुबन्ध (License Agreement) से संबंधित स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान किये जाने पर अनुमोदन।

(ड़) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

13- जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से संबंधित नियमावली, 1987 के नियम-2 में यह व्यवस्था है कि ''राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग के प्रबन्धाधीन राजकीय भूमि का प्रबन्ध उस विभाग द्वारा उसी विभाग के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा। राजस्व संबंधी नियमों-अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था का उल्लंघन न होने पायें।

(2) प्रस्तावित 52.121 एकड भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० से पर्यटन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले विलेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा-3 (क-क) एवं (ख-ख) के परन्तुक–1 के प्रावधानानुसार कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा। उक्त विलेख के निष्पादन हेतु शासनादेश सं०-08/2024/1474/94/स्टा०नि०-2-2023-700(89)/2023 दिनांकित 10-04-2024 के प्रस्तर-4 में विहित की गई प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा ।

(3) इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा-9 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क को कम करने या माफ करने की शक्ति सरकार को प्रदान की गई है। तदनुसार, यदि परियोजना की महत्ता एवं उपादेयता के दृष्टिगत सरकार स्टाम्प शुल्क व निबंधन शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय लेती है तो उसके अनुसरण में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों आदि में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जायगा।

(5) परियोजना हेतु प्रस्तावित 25 एकड़ के अतिरिक्त भूमि का रकबा पर्यटन विभाग द्वारा स्वस्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भूमि हस्तान्तरण का आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा की जायेगी।

(7) यथाआवश्यकता भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही पर्यटन विभाग द्वारा करायी जायेगी।

(8) विद्युत संयोजन हेतु उपलब्ध निर्धारित पोर्टल (झटपट/निवेश मित्र) पर आवेदन किए जाने पर आवेदक को नियमानुसार त्वरित गति से विद्युत कनेक्शन निर्गत किये जायेंगे।

(9) विद्युत आपूर्ति के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार विद्युत Infrastructure के निर्माण हेतु उ०प्र० विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 (यथासंशोधित) के खण्ड 4.6 "Estimate" एवं मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत कास्ट डाटा बुक में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदक को प्राक्कलन उपलब्ध कराया जायेगा। प्राक्कलित राशि का भुगतान आवेदक द्वारा किये जाने पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० की डिस्कॉम कम्पनियों द्वारा त्वरित गति से कार्य कराया जायेगा। आवेदक निर्धारित सुपर विजन चार्ज जमा कर स्वयं भी कार्य कर सकता है।

(10) टेम्पल म्यूजियम के निर्माण सामग्री की ढुलाई नॉन मानसून सीजन में ही किया जाना होगा। वर्षाकाल के दौरान पम्पिंग द्वारा जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिसका उत्तरदायित्व शहरी क्षेत्र में आने के कारण, नगर विकास विभाग अथवा विकासकर्ता से सम्बन्धित होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) वर्षा काल में जलभराव की स्थिति में जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था का दायित्व नगर विकास विभाग /विकासकर्ता से सम्बन्धित होगा। शहर की तरफ से नदी में जाने वाले नालों का निर्माण / रख-रखाव नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा ।

कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, न्याय विभाग, नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 ।
7. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
8. जिलाधिकारी, अयोध्या ।
9. श्री सुप्रकाश मुखोपाध्याय, कम्पनी सचिव, टाटा सन्स प्रा0लि0 ।
10. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।